

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/ निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिनांक 24.03.2022 को अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु उपलब्ध श्रेणी एवं संवर्गवार राज्य कोटे की सीटों की संख्या

| स. क्र. | महाविद्यालय का नाम | राज्य कोटे की कुल सीट संख्या | अनुसूचित जाति | | | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | | | | |
|---------|---|------------------------------|---------------|--------|-----|------------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------|-----|--------|-----|-----|
| | | | 12 प्रतिशत | | | 14 प्रतिशत | | | 12 प्रतिशत | | | 14 प्रतिशत | | | | |
| | | | सै. | एफ.एफ. | दि. | निल | योग | सै. | एफ.एफ. | दि. | निल | योग | सै. | एफ.एफ. | दि. | निल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय विलासपुर | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 3 | राजीव लोचन आयुर्वेद चिकि. महाविद्यालय, चन्द्रखुरी, दुर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनकी, राजनांदगांव | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | |
| 5 | भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | | |
| 6 | रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रामकुंड रायपुर | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | |
| 7 | श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकि. महा., नगपुरा, दुर्ग | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | | |
| | योग | 109 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | | | |

नोट :- 1. काउंसिलिंग सूचना जारी दिनांक तक उपरोक्त महाविद्यालयों को ही प्रवेश हेतु मान्यता/संबद्धता प्राप्त हुई है।

2. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है।

3. काउंसिलिंग दिनांक 23.03.2022 को अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 की कड़िका 4(6) के तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों को अनुसूचित जाति श्रेणी के साथ जोड़ा गया है।


संयुक्त संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़